



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**  
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:

प्लेक्स/सीआईआर/959

16/01/2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 65(1) के अंतर्गत जारी की जाने वाली अधिसूचना के संबंध में हितधारकों की टिप्पणियाँ/इनपुट/(उन विनिर्माण प्रक्रियाओं और अन्य परिचालनों की सूची पर इनपुट जिन्हें सीमा शुल्क गोदाम में अनुमति नहीं दी जा सकती)**

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग उन विनिर्माण प्रक्रियाओं और अन्य कार्यों की सूची पर सदस्यों से इनपुट मांग रहा है, जिनकी सीमा शुल्क गोदाम में अनुमति नहीं हो सकती है।

जैसा कि आप जानते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 सीमा शुल्क गोदाम में विनिर्माण या अन्य कार्यों को करने की अनुमति देती है। जब शुल्क योग्य इनपुट या पूंजीगत सामान ऐसे गोदाम में लाए जाते हैं, तो ऐसे गोदाम में रखे गए सामान पर सभी सीमा शुल्क निकासी तक स्थगित हो जाते हैं।

वित्त अधिनियम 2024 की धारा 101 के अनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में धारा 65(1) में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा गया है।

***"बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, तो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे वर्ग के माल के संबंध में विनिर्माण प्रक्रियाओं और अन्य कार्यों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिन्हें गोदाम में अनुमति नहीं दी जाएगी"***

केंद्र सरकार, यदि यह जनहित में हो, तो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कुछ विनिर्माण प्रक्रियाओं और संचालनों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिन्हें गोदामों में अनुमति नहीं दी जाती है।

इस संदर्भ में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 17.01.2025 (दोपहर 12 बजे) तक निम्नलिखित बिंदुओं पर bharti@plexconcil.org anirudha@plexconcil.org पर इनपुट प्रदान करें:-

- माल की श्रेणियां और संचालन के प्रकार, जिन्हें ऐसे गोदाम में अनुमति नहीं दी जा सकती है, जहां शुल्क स्थगित माल की अनुमति है।
- किसी भी अनुशंसित प्रतिबंध के कारण।
- इस अधिसूचना के निर्माण के लिए प्रासंगिक निहितार्थों या संभावित परिणामों पर अतिरिक्त विचार।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द अपने इनपुट दें।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

**प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद**